

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी—

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:
292/प्रा0पत्र/2017

तारीख दायरा
04.10.2017

तारीख निर्णय
07.05.2018

राजेन्द्र कुमार शर्मा आ0 श्री रामस्वरूप जाति ब्राहाम्ण निवासी दीनबन्धु कॉलोनी, छत्रपुरा बून्दी (राजस्थान)

— प्रार्थी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से — श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।

—: निर्णय :-


राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646-649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजेन्द्र कुमार शर्मा आ0 श्री रामस्वरूप जाति ब्राहाम्ण निवासी दीनबन्धु कॉलोनी, छत्रपुरा बून्दी ने जयें अभिभाषक श्री कैलाश चंद गुप्ता के द्वारा दिनांक 27.09.2017 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूदी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 08/2014 उनवान बल्लभनन्दा एसोसिएट बनाम रामनारायण वगै0 का वाद लोक अदालत की भावना से जयें राजीनामा दिनांक 17.07.2017 को प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 1,12060/- रुपये



बून्दी (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)

7/5/18


गया।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खले न्यायालय में सुनाया

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर बाद तकमील टाखिल दफ़्तर हो।

छत्रपुरा बून्दी को करने की स्वीकृति दी जाती है।

कुमार शर्मा आठ श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी दीनबन्धु कोलाही,
(अक्षर एक लाख पांच हजार छपन रुपय) का भूगतान प्रार्थी श्री राजेन्द्र
दर से 7004/- रु० की कटौती करते हुए शेष राशि 105056/-रुपय
दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्तम्भ रिफ़ूड कटौती 6.25 प्रतिशत की
1,12060/- रुपय राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06
सूट वेरूेशन रुम्स 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को
F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफ़ीस एण्ड
राशि 1,12060/-रु० राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5)
078602 से 078603, 30/- रुपय के दो नग कुल नग 26, कुल स्तम्भ
004973 से 004994 तक, 1000/- रुपय के 02 नग, स्तम्भ नम्बर
संगन कोर्ट फ़ीस स्तम्भ 5000/- रुपय के 22 नग, स्तम्भ नम्बर
एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ
बारह हजार साठ रुपय) लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय जिला
न्याय शृङ्ख (कोर्ट फ़ीस) राशि 1,12060/- रुपय (अक्षर- एक लाख
न्यायाधीश, बून्दी के प्रारूप संख्यांक 710 दिनांक 25.09.2017 से प्रार्थी को
पर मनन किया। पत्रावली में संगन न्यायालय जिला एवं सेशन
हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिमाषक प्रार्थी

किया जावे।

गया है। अतः प्रार्थी को कोर्ट फ़ीस राशि 1,12060/- रुपय का भूगतान
फ़ीस भूगतान हेतु प्रारूप संख्यांक 710 दिनांक 25.09.2017 जारी किया
वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट